15.11.24 उभयपक्ष उप०। उभयपक्ष को वाज० प्रा० पत्र पर सुना गया।
वकील प्रार्थी का कथन है कि उक्त मूल अपील में 1/8/24 तारीख नियत थी। दि० 1/8/24 को वकील प्रार्थी ने सहवन से आ. पेशी 20/9/24 अपनी डायरी में अंकित कर ली। परन्तु दि० 1/8/24 को न तो अपीलांट न ही अधि० अधि० कोर्ट में हाजिर हो सके। अपीलांट दि० 1/8/24 को जानबूझकर गैर हाजिर अदालत नहीं हुये बल्कि भारी बरसात एवं वृद्ध होने के कारण नही आ सके। प्रार्थी मुकदमें को पूरी तल्लीनता से लड़ रहा है एवं मूल अपील का गुण-अवगुण पर निस्तारण कराना चाहता है अतः वाज० प्रा० पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
वकील अप्रार्थी का कथन है कि वाज० प्रा० पत्र करीब 20 दिन की डेरी से प्रस्तुत किया है अतः काबिल खारिजी है।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस उभयपक्ष पर मनन किया, चूंकि मूल अपील का निस्तारण मेरिट पर करना उचित है अतः म्याद के बिन्दु पर नरम रुख अपनाते हुये वाज० प्रा० पत्र 200/- रु. कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। मूल अपील पुनः नंबर पर ली जाती है। वाज० प्रा० पत्र फैसल शुमार किया जाकर नंबर से कम हो। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)